रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 5, 2000/पौष 15, 1921
No. 14] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 5, 2000/PAUSA 15, 1921

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2000

सा. का. नि. 14(अ).—खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केंद्रीय सरकार, खाद्य मानकों के लिए केंद्रीय समिति से परामर्श के पश्चात् खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उपधारा (1-क) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, ऐसे सभी व्यक्तियों की, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर, उस तारीख से, जिसको ऐसे राजपत्र की, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई है, प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर विचार किया जाएगा;

केंद्रीय सरकार, उक्त प्रारूप नियमों की बाबत किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त किसी आक्षेप या सुझाव पर विचार करेगी;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई है, सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को भेजे जा सकेंगे।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) नियम, 2000 है।

(2) ये राजपत्र में इन नियमों के अंतिम प्रारूप के प्रकाशन पर प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के नियम 32 में,—

(1) खंड (ख) के दूसरे परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि जब किसी खाद्य पदार्थ में किसी प्राणी मूल, चूजा, मछली का मास या अंडा घटक के रूप में है, तब लेबल पर, इस तथ्य को उपदर्शित करने के लिए पैकेट पर रंजक कोड द्वारा इस प्रभाव की घोषणा की जाएगी कि यह मांसाहारी खाद्य है। जहां खाद्य की प्रकृति को मांसाहारी के रूप में उपदर्शित करने के लिए रंजक कोड का उपयोग किया जाता है, वहां ऐसे रंजक कोडों का, विनिर्माता, पैकर या विक्रेता द्वारा इस

प्रकार व्यापक रूप से प्रकाशन किया जाएगा, जिससे कि समस्त जनता, उनकी साक्षरता को ध्यान में रखे बिना, उसे समझ सके और ऐसे रंजक कोड को ऐसे स्थान पर, जहां खाद्य का विक्रय, विनिर्माण, भंडारण या विक्रय के लिए प्रदर्शित किया जाता है, संप्रदर्शित किया जाएगा।"

(2) स्पष्टीकरण VIII के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण IX-"मांसाहारी खाद्य" से ऐसा खाद्य पदार्थ अभिप्रेत है जिसमें किसी प्राणी मूल, चूजा, मछली का मांस या अंडा घटक के रूप में है।"

[पी. 15014/12/99- पी एच (खाद्य)]

दीपक गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पण : खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 पहले दिनांक 12-9-1955 का.नि.आ. 2105 के तहत भारत के राजपत्र के भाग-II, खण्ड 3 में प्रकाशित किए गए थे तथा अंतिम बार सा.का.नि. 694(अ) दिनांक 11-10-1999 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2000

G.S.R. 14(E).—The following draft of certain rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, which the Central Government after consultation with the Central Committee for Food Standards, proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (1-A) of section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954), is hereby published as required by the said sub-section (1), for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of sixty days from the date on which the copies of this Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules within the period specified above will be considered by the Central Government;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, Nirman Bhavan, New Delhi-110011.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Prevention of Food Adulteration (Amendment) Rules, 2000.

(2) They shall come into force on the publication of the final draft of these rules in the Official Gazette.

2. In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, in rule 32,—

(1) in clause (b) after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that whenever any article of food contains meat of any origin, chicken, fish or egg as an ingredient, a declaration to this effect shall be made on the label by a colour code on the package to indicate the same i.e. the Non-Vegetarian Food. Wherever the colour codes are used to indicate nature of the food as Non-Vegetarian, such colour codes shall be published extensively by the manufacturers or packer or seller, so as to reach entire population irrespective of their literacy status and the same shall be displayed at the place where food is sold, manufactured, stored or exhibited for sale."

(2) after Explanation VIII, the following Explanation shall be inserted, namely :—

"Explanation IX–"Non-Vegetarian Food" means the article of food which contains meat of any origin, chicken, fish or egg as an ingredient."

[P. 15014/12/99-PH (Food)]

DEEPAK GUPTA, Jt. Secy.

Food Note : The Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 were published in Part II, Section 3 of Gazette of India vide S.R.O. 2105 dated 12-9-1955 and were last amended vide G.S.R. No 694(E), dated 11-10-1999.

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.